संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 [संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938]

THE UNITED PROVINCES MELAS ACT, 1938
[U. P. Act No. XVI of 1938]

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938¹ {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16, 1938}

एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत उ० प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 द्वारा संशोधित।

{राज्यपाल महोदय ने 24 फरवरी, 1939 का स्वीकृति प्रदान की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत दिनांक 4 मार्च, 1939 को प्रकाशित² हुआ।}

कतिपय मेलों के नियंत्रण के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि स्थानीय बोर्डी के प्राधिकार के अधीन लगने वाले मेलों के अतिरिक्त अन्य मेलों के उचित विनियमन के लिए व्यवस्था की जाय; प्रस्तावना

अतएव एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है :--

1--- (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 कहलायेगा।

शीर्ष नाम तथा प्रसार

(2) इसका विस्तार³ सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश}⁴ में होगा।

2— यह धारा तथा धारा 3 तुरन्त प्रचलित होगा। राज्यपाल {उत्तर प्रदेश} गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह आदेश दे सकते है कि सम्पूर्ण अधिनियम अथवा कोई भाग {उत्तर प्रदेश} में किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां ऐसे क्षेत्र में, जहां मेले लगते हों, उस अविध के लिए प्रवर्तित होंगे, जो ऐसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय;

प्रारम्भ तथा अधिनियम की प्रवृत्ति

 $\{X X X\}^5$

3-- यह अधिनियम, एतद्द्वारा, इलाहाबाद के माघ मेले पर लागू किया जाता है।

- 1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट, दिनांक 12 जनवरी 1938,, पृष्ठ 4 देखिए।
- 2. गजट 1939 खण्ड 8-ए, पृष्ठ 1-3 देखिए।
- उ. यह अधिनियम इस तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञिप्ति (यदि कोई हो), के अन्तर्गत स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है, जिनका उल्लेख स्तम्भ I में किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश,	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके	तिथि, जिससे
	जिनके अन्तर्गत प्रसार किया	अन्तर्गत प्रभावी किया गया	प्रभावी किया गया
	गया		
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ		30 दिसम्बर, 1949
_	लाज) ऐक्ट, 1950		
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ	संख्या 3262 / (1)/ xvii-मर्ज,	30 नवम्बर, 1949
	लाज) ऐक्ट, 1949	दिनांक 30 नवम्बर, 1949	
3—–जिला टिहरी–	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन	विज्ञप्ति सं0 3262(2) / xvii-	तदैव
गढवाल	आफ लाज) ऐक्ट, 1949	मर्ज, दिनांक ३० नवम्बर, १९४९	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	101, 14 1147 30 14 41, 1949	

- 4. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
- 5. उ०प्र० अधिनियम संख्या ४१, १९७६ की धारा ६३ द्वारा निकाला गया।

{संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938}

धारा 4-8

4— (1) "मेला" का तात्पर्य किसी धार्मिक मेले अथवा जनता के धार्मिक समारोह से है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है – परिभाषाएं

- (क) स्थानीय बोर्ड के प्राधिकार के अधीन लगने वाला कोई मेला अथवा समारोह;
- (ख) किसी दरगाह या पुष्य स्थान के संबंध में लगने वाला कोई मुसलमानी धार्मिक समारोह।
- (2) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है, जहां मेला लगे या यदि किसी मेले का क्षेत्र एक से अधिक जिले में पड़ता हो तो उस जिला मजिस्ट्रेट से होगा, जिसे {राज्य सरकार} इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करे :

[परन्तु इलाहाबाद और हरिद्वार में लगने वाले कुम्भ मेला और अर्ध कुम्भ मेला के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रत्येक ऐसे मेला के प्रभारी अधिकारी में निहित होंगे :

परन्तु यह भी है कि ऐसा प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रभारी अधिकारी के रूप में उक्त कोई अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो धारा 5 के अधीन अधिकार न हो, ऐसे कुम्भ मेला या अर्ध कुम्भ मेला के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपर प्रभारी अधिकारी या उप प्रभारी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

- (3) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य उस मजिस्ट्रेट या अन्य किसी व्यक्ति से है, राज्य सरकार द्वारा प्रभारी अधिकारी के कर्त्तव्यों को करने के लिये नियुक्त किया जाय।
- (4) "मेला क्षेत्र" का तात्पर्य किसी मेले के उस क्षेत्र से है, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाय।
- 5— जिला मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी को अपने कर्त्तव्य पालन में सहायता देने के लिये इन नियमों के अनुसार जो एतदर्थ (राज्य सरकार) द्वारा बनाये जांय, एक समिति नियुक्त करेगा।

समिति नियुक्त करने का अधिकार

6— जिला मजिस्ट्रेट, धारा 5 के अधीन नियुक्त की गयी समिति से परामर्श करने के पश्चात् नियम द्वारा मेला क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित का आरोपण कर सकता है :--

पथकर और शुल्क लगाने का अधिकार

- (1) ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली किन्हीं गाड़ियों अथवा पशुओं पर या उक्त क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री के लिये लायी जाने वाले वस्तुओं पर पथ–कर; और
 - (2) ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचे जाने वाले पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क ।
- 7— जिला मजिस्ट्रेट नियम द्वारा ऐसा शुल्क तथा शर्ते विहित कर सकता है, जिनका भुगतान करने पर तथा जिनके अधीन किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष क्षेत्र में कोई व्यवसाय, व्यापार या आजीविका चलाने की अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।

अनुज्ञप्ति का अधिकार

8—— (1) प्रभारी अधिकारी, किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हेतु या किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो मेले से सम्बन्धित धर्म के विरूद्ध न हो, स्थानों का आवंटन कर सकता है और उक्त स्थान के लिये ऐसा किराया निश्चित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत हो।

स्थानों का आवंटन

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ४१, १९७६ की धारा ६४ द्वारा बढ़ाया गया।

धारा १

- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभारी अधिकारी, निम्नलिखित को विशेष रूप से स्थान आबंटित कर सकता है :---
 - (1) मेले से संबंधित मत को मानने वाली धार्मिक संस्थायें,
 - (2) सामाजिक तथा अन्य संस्थायें और संगठन,
 - (3) कल्पवासी,
 - (4) कर्मचारी,
 - (5) बाजार स्थल,
 - (6) शौचालय, मूत्रालय और कूड़े के ढेर,
 - (7) नहाने के स्थान,
 - (8) विनोद और मनोरंजन, और
 - (9) कृषि, औद्योगिक तथा अन्य प्रदर्शनियां और प्रदर्शन।
- 9— (1) {राज्य सरकार} 1 सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये तथा विशेष रूप से निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है :--

नियम बनाने का अधिकार

- (1) मेला निधि की स्थापना;
- (2) इस बात की व्यवस्था करना कि मेला निधि से क्या व्यय किया जायगा और किसी अतिरेक धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जायगा; और
 - (3) मेला क्षेत्र में स्वच्छता;

यह नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

- (2) {राज्य सरकार}¹ द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।
- (3) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट सामान्यतया आग लगाने या उसे फैलने से रोकने की व्यवस्था करने के लिये तथा विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकता है —
 - (1) मेले में खड़े किये गये भवनों तथा ढ़ांचो और मेले में लायी गयी वस्तुओं की सुरक्षा के लिये व्यवस्था करना,
 - (2) ऐसी शर्ते विहित करना, जिनके अधीन झोपड़ियां तथा अन्य ढ़ांचों का निर्माण किया जाय,—इसमें ऐसी झोपड़ियां या ढ़ांचों की ऊंचाई की सीमा तथा वह क्षेत्र जिन पर वे बनाये जायेंगे और उनके बीच की दूरी भी सम्मिलित है,
 - (3) प्रत्येक झोपड़ी या अन्य स्थानों में बालू तथा घड़ों में पानी की सम्पूर्ति (सप्लाई) की व्यवस्था करना, और,
 - (4) खाना पकाने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये आग के उपयोग को प्रतिबंधित करना।

{संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938}

धारा 10-14}

10—— आग लगने की दशा में प्रभारी अधिकारी किसी भी ढ़ांचे को गिराये जाने का आदेश दे सकता है यदि उसकी राय को फैलने से रोकने के लिये उसका गिराया जाना आवश्यक या इष्टकर हो, तथा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

11-- कोई ऐसा व्यक्ति, जो -

शास्तियां

- (क) कोई अनधिकृत निर्माण-कार्य करे; या
- (ख) किसी अनिधकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कूड़ा ढेर करने के स्थान के रूप में उपयोग करे; या
- (ग) धारा ७ के उपबन्धों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के प्राप्त किये बगैर कोई व्यवसाय, व्यापार या आजीविका चलाये अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों को भंग करे; या
- (घ) अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का या अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करे; या
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन विधिवपूर्वक लिखित रूप में जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन न करे;

यह दोष सिद्ध होने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो {एक हजार रूपये} तक हो सकता है और अपराध लगातार या बार—बार होने की दशा में उस पर और जुर्माना किया जा सकता है, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रतिदिन, जिसके दौरान में अपराधी ऐसा अपराध जारी रखता सिद्ध हुआ हो, {एक सौ रूपये} तक हो सकता है।

12— प्रभारी अधिकारी किन्हीं भी अनधिकृत निर्माण कार्य को हटवा सकता है और ऐसे निर्माण (कार्य) को हटाये जाने की लागत निर्माण (कार्य) करने वाले किसी भी व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी । अनधिकृत निर्माण कार्यो को हटाने का अधिकार

13—— (1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 6, 7 और 9 के अधीन बनाये गये समस्त नियम {उत्तर प्रदेश} 1 गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

नियमों का प्रकाशन और उनके सम्बन्ध में आपत्तियों

(2) ऐसे किसी नियम के संबंध में आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति उक्त प्रकाशन के तीस दिन के भीतर {राज्य सरकार} के पास अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और {राज्य सरकार} ऐसे नियम की पुष्टि कर सकती है, उसे परिष्कृत कर सकती है या उसे अपास्त कर सकती है।

किराये की वसूली

14— (क) यदि कोई व्यक्ति प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये समय के भीतर धारा 8 (1) के अधीन निश्चित किया गया किराया अथवा धारा 12 में उल्लिखित लागत उसके किसी भाग का भुगतान नहीं करता है तो प्रभारी अधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि निर्दिष्ट की जायगी, भेज सकता है और कलेक्टर ऐसे व्यक्ति की आपित प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा की गयी ऐसी किसी आपित को सुनवाई करने और उसका अवधारण करने के पश्चात् प्रमाण—पत्र में भरी गयी धनराशि या ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, जिसे वह बकाया पाये, भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा। यदि कलेक्टर को यह पता चले कि ऐसे किसी व्यक्ति से कोई धनराशि बाकी नहीं हैं तो उक्त प्रमाण—पत्र प्रभारी अधिकारी को अपने निष्कर्ष सहित वापस कर देगा।

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या ४1, 1976 की धारा ६5 द्वारा रखे गये।

{संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938}

धारा 15-16}

(ख) इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन किये जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को आवंटित किये गये स्थान में उसकी बेदखली का आदेश दे सकता है।

15— {राज्य सरकार} 1 गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके धारा 4(3) या 13 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी भी प्रधिकारी को प्रत्यायोजित 2 कर सकती है।

अधिकारों का प्रत्यायोजन

[16— राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 296, 298, 299 और 300 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति को, विज्ञप्ति द्वारा, मेला के प्रभारी अधिकारी को प्रदान कर सकती है, और ऐसी विज्ञप्ति जारी हो जाने पर इन धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्र पर इस प्रकार लागू होंगे मानों मेला क्षेत्र "नगर" का एक भाग है और प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित "मुख्य नगराधिकारी" है और मानों धारा 8 के अधीन प्रभारी अधिकारी के किसी आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन है। 3

कतिपय प्रयोजनों के लिये मेला क्षेत्र में उ० प्र0 अधिनियम संख्या 2,1959 का लागु होना

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

प्रत्यायोजन के लिए गजट, 1940, भाग (1), पृष्ठ संख्या 33 में विज्ञप्ति संख्या 98(2)/3, दिनांक 18 जनवरी, 1940 तथा उसी गजट में पृष्ठ 725 पर विज्ञप्ति संख्या 98(2)/3–38, दिनांक 23 अक्टूबर, 1940 देखिये।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ४१, १९७६ की धारा ६६ द्वारा बढायी गयी।

THE UNITED PROVINCES MELAS ACT, 1938¹ [U. P. ACT No. XVI OF 1938]

Adapted and modified by the Adaptation of Laws order, 1950 Amended by U. P. Act No. 41, 1976

[Received the assent of the Governor on February 24, 1939 and was published² under section 75 of the Government of India Act, 1935, on March 4, 1930]

An Act

for the control of certain melas

Preamble

WHEREAS it is expedient to make provision for the proper regulation of melas other than those held under the authority of local boards;

It is hereby enacted as follows :--

Short title and extent

- 1. (1) This Act may be called the United Provinces Melas Act, 1938.
 - (2) It extends³ to the whole of [Uttar Pradesh.]⁴

Commencement and application of the Act

2. This section and section 3 shall come into force at once, the Governor may, by notification in [Uttar Pradesh]⁴ Gazette, direct that all or any part of the Act shall come into operation in any area in the [Uttar Pradesh]⁴ where melas are held for such period as may be specified in such notification;

[***]⁵

- 3. This Act is hereby applied to the Magh Mela at Allahabad.
 - 1- 1 for S.O.R. see Gaz extra, d jan. 12 1938 p.4
 - 2- See gaz.1939 pt, VII-A, pp. 1-3
 - 3- This act has been extended to the areas mentioned in column I of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area.

Areas	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
Rampur District	Rampur (Application of Laws) Act, 1950.		Dec 30, 1949.
Banaras District	Banaras (Application of Laws) Order, 1949.	No. 3262 (i)/ XVII MERGE, dated dated Nov 30, 1949.	Nov 30, 1949.
Tehri-Garhwal District	Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949.	Not.No. 3262 (ii)/ XVII MERGE, dated dated Nov 30, 1949.	Ditto

- 4- Subs. by the A.O 1950 for (the United provinces).
- 5- Omit by section 63 U.P. Act no. 41 of 1976.

[The United Provinces Melas Act, 1938]

[Section 4-8]

Definitions

- 4. (1) "Mela" means a religious fair or other religious gathering of the public other than—
 - (a) a mela or gathering held under the authority of local board; or
 - (b) a Muslim religious gathering held in connection with a Dargah or Shrine.
 - (ii) "District Magistrate" means the District Magistrate of the district in which a mela is held; or, if the area of a mela lies in more than one district, such District Magistrate as the [State Government] may appoint for the purposes of this Act:

[Provided that in relation to the Kumbha Mela and Ardha Kumbha Mela held at Allahabad and at Haridwar the powers of the District Magistrate under this act shall vest in the officer Incharge of such Mela:

Provided further that such officer Incharge may delegate any of the said powers or any other power as Officer Incharge under' this Act, not being the power under section 5, to an Additional Officer In-charge or Deputy Officer Incharge appointed by the State Government for such Kumbha Mela or Ardha Kumbha Mela;]²

- (iii) "Officer-incharge" means a magistrate or any person appointed by the [State Government]¹ to perform the duties of an Officer-in-charge;
- (iv) "Mela area" means the area of a mela as defined by the District Magistrate.

Power to appoint committee

5. The District Magistrate shall, in accordance with such rules as may be framed by the [State Government]¹ in this behalf, appoint a committee to assist the Officer-in-charge in the performance of his duties.

Power to impose tolls and fees

6. The District Magistrate may, after consulting the committee appointed under section 5, by rule, impose within the mela area-

- (i) tolls on any vehicle or animal entering, or any person bringing goods for sale, into such area, and
 - (ii) fees on the registration of animals sold within such area.

Power to licence

7. The District Magistrate may, by rule, prescribe fees on payment, of which and conditions subject to which any person or class of persons may be licensed to ply any profession, trade or calling in the mela area.

Allotment of sites

8. (1) The Officer-in-charge may allot sites for any person or class of persons for any purpose not repugnant to the religion with which the melas connected, and may fix such rent for the site as may appear to him reasonable.

- 1- Substituted by the A.O. 1950. for (provincial Government).
- 2- Insertion by the section 64 of U.P. Act No .41 of 1976.

[The United Provinces Melas Act, 1938]

[Section 9]

- (2) Without prejudice to the generality of the power contend by sub-section (1), the Officer-in-charge may allot sites for the following in particular-
 - (i) religious societies of ' the persuasion with which the mela is connected,
 - (ii) social and other societies and organizations,
 - (iii) Kalpbasis,
 - (iv) officials,
 - (v) market places,
 - (vi) latrines, urinals and rubbish heaps,
 - (vii) bathing places,
 - (viii) recreation and entertainment, and
 - (ix) agricultural, industrial and other exhibitions and demonstrations.

Power to make rules

- (1) The [State Government] may make rules generally for carrying out the purposes of this Act, and in particular for-
 - (i) the establishment of a mela fund,
 - (ii) providing what expenditure shall be defrayed from the mela fund and how should any surplus be utilized, and
 - (iii) sanitation in the mela area;

such rules shall be published in the Gazette.

- (2) The rules made by the [State Government]¹ under the preceding sub-section shall be laid before the legislature.
- (3) Subject to the rules made under sub-section (1) the District Magistrate may make rules to provide generally against the outbreak or spread of fire, and particularly for the following purposes, --
 - (i) providing for the safety of buildings and structures up in the mela, and of articles brought into the mela;
 - (ii) prescribing conditions subject to which huts and order structures may be constructed including limits to the height of such huts or structures and the area on which they are to be built and distances between them,
 - (iii) providing for the supply of sand and jars of water at each hut or elsewhere, and
 - (iv) restricting the use of fires, for cooking or for any other purpose.

10. In the event of an outbreak of fire, the Officer in charge may order the demolition of any structure if in his judgment its demolition is necessary or expedient for preventing the fire from spreading, and no suit or other proceeding shall be instituted for an act done or purporting to be done in good faith under this section.

Penalties

11. Any person who ---

- (a) makes any unauthorized construction, or
- (b) uses any unauthorized place as a latrine, urinal or rubbish dump, or
- (c) plies any profession, trade or calling without a licence obtained under the provisions of section 7 or commits a breach of the conditions of such licence, or
- (d) contravenes any of the provisions of the Act or of they rules made under the Act, or
- (e) disobeys any order or direction in writing lawfully issued under this Act,

shall be punishable on conviction with the fine which may extend to or one thousand rupees]² and where the offence is a continuing or recurring one with a further fine which may extend to [one hundred rupees]² for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence.

Power to remove unauthorized construction

12.

The Officer-in-charge may remove (my unauthorized construction, and the cost of such removal may be recovered from any person making the construction as an arrear of land revenue.

Publication and objections to rules

- 13. (1) All rules made by the District Magistrate under section 6, 7 and 9 shall be published in the [Uttar Pradesh]¹ Gazette.
 - (2) Any person objecting to any such rule, may within 30 days of such publication, prefer his objection to the [State Government]² and the [State Government]² may confirm, modify or set aside such rule.

Recovery of rents

14. (a) If any person fails to pay within the time allowed by the Officer-in-charge, the rent fixed under section 8 (1) or the cost referred to in section 12, or any part thereof, the Officer-in-charge may forward to the Collector a certificate over his signature, specifying the amount due from such person, and the Collector shall give such person an opportunity to prefer any objection and shall after hearing and determining such objection as may be made, proceed to recover the amount entered in the certificate or such amount, if any, as he may find to be due, as an arrear of land revenue. If the Collector finds that no amount is due from such person, he shall, return the certificate to the Officer-in-charge with his finding.

- 1- Substituted by the A.O. 1950 for (United Provinces)
- 2- Subs. by the A.O. 1950 (Provincial Government).
- 3- Subs. by section 65 of U. P. Act No. 41 of 1976.

[The United Provinces Melas Act, 1938] 15-16]

16.

[Section

(b) The District Magistrate may order the adjustment from the site allotted to any lessee or licensee who contravenes any rule made by the District Magistrate under this Act.

Delegation of 15. powers

The [State Government]¹ may by notification in the Gazette delegate² the power conferred on it under section 4 (iii) or 13 (2) to any authority subordinate to it.

[Application of U.P. Act No. 2 of 1959 for certain purposes to mela area

The State Government may by a notification confer upon the Officer Incharge of the Mela any of the powers conferred by sections 296, 298, 299 and 300 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and upon issue of such notification the provisions of these sections shall apply to the Mela Area as if the Mela Area were part of a 'City' and the Officer Incharge were Mukhya Nagar Adhikari as defined in the said Adhiniyam, and as if a contravention of the provisions of any orders of the Officer Incharge under section 8 were contravention of the provisions of the said Adhiniyam.]³

^{1.} Subs by the A.O, 1930 for (Provincial Government).

^{2.} For delegation, see notification no. 98(2)/III—38, dated January 18, 1940, in Gaz.., 1940, I.P.A 33, and no. 98(2).III—38 dated October 23, 1940, in ibid, page 725.

^{3.} Ins. by section 66 of U.P. Act No.41 of 1976.